अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 270 /2013–14

मिश्रीलाल ठाकुर बनाम गंगा राम शर्मा एंव 02 अनय

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का अनुशीलन किया। प्रस्तुत वाद के आवेदक मिश्रीलाल ठाकुर, पिता– स्व0 अकल ठाकुर ग्राम– शीशो इण्डाथारा पंचायत– शीशो पश्चिमी थाना– सदर दरभंगा ने मरौसी वल्द सुमाहु बरई के नाम खाता नं0– 186, की खतियानी खेसरा नं0– 1340, 1341, 1344 एवं 1346 जो मौजा भरवाड़ा थाना नं0– 71 में स्थित है कि रकवा 05 कट्ठा 13 धुर भूमि जिसके उतर– लालाजी परती दक्षिण– जगदीश मिश्र पूरब– सहदेव झा वगैरह पश्चिम– सट्टु ठाकुर को अलग पट्टी काटने का आदेश देने तथा उसपर डिक्री पारित करने का अनुरोध करते हुए उल्लेख किया है उक्त भूमि खतियानी पूर्वज भरोसी साह के नाम से है जो इनके हिस्से एवं दखल कब्जे में शांतिपूर्वक चला आ रहा है जिसे विपक्षी हड़पना चाहते हैं। विपक्षी गंगाराम शर्मा, जामुन शर्मा एवं मदन शर्मा तीनों पिता– स्व0 युगेश्वर शर्मा ग्राम एवं पोस्ट– भरवाड़ा थाना– सिंहवाड़ा का कहना है कि आवेदक ने खेसरा सं0– 1340, 1341, 1344 एवं 1346 के अपने हिस्से की भूमि को दिनांक 02.05.1975 को अन्य भूमि के साथ विपक्षीयों के पिता को बयनामा कर दिया है और अब उनके पास इस खेसरा में कोई भी भूमि नहीं बची है। विपक्षीयों ने यह भी कहा है कि आवेदक ने प्रश्नगत खेसरा का स्पष्ट रकवा नहीं बताया है तथा खतियानी रैयत का वंशवृक्ष भी अधुरा बताया है और अन्य हिस्सेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, अतएव पक्षदोष के कारण एवं अस्पष्टता की स्थिति में वाद पत्र खारिज के योग्य बताया गया है। विपक्षीयों का यह भी कहना है कि आवेदक करीब तीस वर्ष पूर्व से मौजा भरवाड़ा छोड़कर शीशो ग्राम में बस गये हैं तथा बिना किसी अधिकार के विपक्षीयों को ह्रास करने के उद्देश्य से Cadestral सर्वे खतियान के आधार पर बिना खतियानी रैयत के उत्तराधिकारीयों को पक्षकार बनाए यह अस्पष्ट वाद दायर कर दिया है जो खारिज के योग्य है।	

10/06/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	सुनने से स्पष्ट विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिल्कुल अस्पष्ट है। चूँकि खतियानी रैयत भरोसी बरई को तीन पुत्रों बाबूराम बरई, सियाराम बरई एवं बिहारी बरई हुए जिनके किसी भी उत्तराधिकारियों को आवेदक ने इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि आवेदक बाबुराम बरई के दो पुत्रों अकल ठाकुर एवं घोघई ठाकुर में से एक अकल ठाकुर के पुत्र हैं तथा विपक्षीगण अकल ठाकुर के दुसरे पुत्र जुगेश्वर ठाकुर के पुत्र हैं। स्पष्टतया आवेदक का वाद पक्षदोष से ग्रसित है तथा भूमि का स्पष्ट वर्णन आवेदक ने नहीं किया है कि इसका कुल रकवा कितना है जिसमें इनका हिस्सा प्रश्नगत प्रमाणित हो सके। अतः उपर्युक्त अस्पष्टता एवं वाद पक्षदोष से ग्रसित होने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। **लेखापित एव शुद्धित** 07/08/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 07/08/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	